

प्रेषिका,

अनुराधा,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय  
कक्ष सं० 33, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
शाहजहाँपुर।

विषय-: चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने हेतु सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की माता कुसुमलता देवी पत्नी स्व० झामर सिंह हैं जो कि एक गृहणी हैं तथा जिनकी देखरेख अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है। अधोहस्ताक्षरी की माता को "Infection and multiple fracture in gums and teeth" की समस्या है, जिसका इलाज वह 'Dental Care Clinic' लखनऊ से दिनांक 13.03.2024 से करवा रही हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थिनी चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दवा प्रस्तुत करना चाहती है।

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग- 06, संख्या- 474/ पांच-6-14-1082/87, टी सी, लखनऊ दिनांक 04.03.2014 की अधिसूचना में दिये गये नियम- 11 के स्तम्भ- 2 में एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम (ख) के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा 30 दिन के अन्दर इलाज प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत कर रही है।

सादर।

दिनांक-28.03.2024

भवदीया

(अनुराधा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय  
कक्ष सं० 33, शाहजहाँपुर।

28/03/2024